

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2. कुलसचिव, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर।
4. निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
5. निदेशक, 30प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
6. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बांदा,  
बिजनौर, मैनपुरी, सोनभद्र व कन्नौज।
7. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य एवं अधिष्ठाता, वास्तुकला संकाय, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/प्रभारी, अपीलीय प्राधिकरण, बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक:07 अप्रैल, 2021

**विषय:** वित्तीय वर्ष-2021-22 के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके विश्वविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान के रूप में निम्नलिखित तालिका में अंकित लेखाशीर्षक के सम्मुख अंकित धनराशियों की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रमांक	अनुदान संख्या-47 लेखाशीर्षक एवं मद संख्या	आय-व्ययक वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-04- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1786.57	1786.57

Ac-39  
22/4/21

मि. SP

(FAE)  
22/4/21

AC

10

22/4/21

2021/04/07


2	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	2428.25	2428.25
3	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-07- कमला नेहरू इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सुलतानपुर को सहायक अनुदान (जिला योजना)-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	1845.59	1845.59
4	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-08- इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ को सहायक अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	29.26	29.26
5	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-11- बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झांसी-को अनुदान 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	592.73	592.73
6	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-15- लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	29.26	29.26
7	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- 30प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	424.00	424.00
8	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-20-	43.86	43.86

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	अपीलीय प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)		
9	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-23-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	371.56	371.56
10	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-24-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	371.56	371.56
11	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-25-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	393.85	393.85
12	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-26-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	382.70	382.70
13	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-28-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	361.95	361.95
14	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-29-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	361.95	361.95
15	2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी /तकनीकी कालेज तथा संस्थान-30-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	351.42	351.42

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, सम्बंधित जनपद से आहरित कर आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के वेतन पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'एच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध करार्येंगे। इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त न किया जाये अपितु वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
3. इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होंगी।
4. इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. यदि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाये।
6. मण्डल मुख्यालय पर स्थापित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को स्वीकृति धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, सम्बंधित मण्डल द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।
7. मण्डल मुख्यालय से इतर जनपदों में स्थापित संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि का भुगतान सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।
8. उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत प्रस्तर-1 में वर्णित तालिका में अंकित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।
9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्रांक-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (सुनील कुमार चौधरी)  
 विशेष सचिव

संख्या-30/2021/863/सोलह-1-2021-9(बजट-1)/2011, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, गोरखपुर/कानपुर/सुलतानपुर/झांसी/अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/बांदा/बिजनौर/मैनपुरी/सोनभद्र/कन्नौज/लखनऊ।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/कानपुर/सुलतानपुर/झांसी/अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/बांदा/बिजनौर/मैनपुरी/सोनभद्र/कन्नौज/लखनऊ।
- (5) अपर निदेशक, कोषागार, गोरखपुर मंडल/कानपुर मण्डल/लखनऊ मण्डल/आजमगढ़ मण्डल।
- (6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (8) वित्त नियंत्रक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर/ हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11 / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
- (11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( कुलदीप बाबू )

उप सचिव